

क्रम०	बैंक का नाम	1997	1996	1995
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1433923	1273986	970067
	ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	961335	819224	665006
	पंजाब एंड सिंध बैंक	394360	545495	487842
	पंजाब नेशनल बैंक	2891307	2703326	2399964
	सिंडिकेट बैंक	1198909	1068417	1001298
	यूको बैंक	1007731	897137	835481
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1006674	1725988	1530629
	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	986891	843111	771818
	विजया बैंक	532026	558874	566681
कुल:		27172854	23761284	21405109

लघु तथा मध्यम दर्जे के किसानों को दिए गए ऋणों से संबंधित आंकड़े

699. चौधरी हरमोहन सिंह यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता लगाया जा सके कि छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को कितना-कितना ऋण दिया गया है;

(ख) इस प्रकार के ऋण आंकड़े न रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के आंकड़े न रखने से देश में किसानों की भावी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस संबंध में सरकार की क्या परतक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) छोटे और सीमांत किसानों

को उनके स्वामित्व की जोत की भूमि के आकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है।

कृषकों को दिए गए ऋण के आंकड़े, उनकी जोत की भूमि के आकार के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वार्षिक आधार पर प्रकाशित "मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट" (खण्ड II) के एक अंश के रूप में प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष वित्त को कवर करने वाला विवरण (अल्पावधि ऋण और मीयादी ऋण) तथा रिपोर्टोन्धीन वर्ष के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण और अग्रिम।

वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	संवितरित राशि	बकाया राशि
जून की अंतिम स्थिति	अल्पावधि ऋण	मीयादी ऋण
1993	1611	593
1994	1897	591
1995	2448	718
	अल्पावधि ऋण	मीयादी ऋण
1993	3243	3522
1994	3484	3522
1995	3900	3646

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण का प्रवाह सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मार्जिन राशि की आवश्यकता, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के बारे में प्राथमिकता क्षेत्र उधारकर्ताओं को कुछ रियायतें प्रदान की गई है। इन रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (I) बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों से 10,000 रुपए तक के फसल ऋण/मीयादी ऋणों के लिए मार्जिन राशि नहीं लेनी चाहिए।
- (II) बैंकों को 25,000 रुपए तक के फसल ऋणों पर संपादित प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी के लिए जोर नहीं देना चाहिए। फसल के आह्वान को प्रतिभूति माना जा सकता है।
- (III) ब्याज का अदायगी के लिए केवल ऋण/निर्धारित किस्तों को वापसी अदायगी के समय ही बल देना चाहिए।
- (IV) बैंकों को फसल ऋणों और मीयादी ऋणों के संबंध में इन किस्तों पर जो देय नहीं है, की चालू प्रायः राशियों पर सम्मिश्र ब्याज नहीं लगाना चाहिए तथा ब्याज की गणना केवल वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।
- (V) छोटे और सीमांत किसानों पर लगया गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

काले धन के विरुद्ध अभियान

700. श्री नागमणि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने काले धन के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है; यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों में कितने काले धन का पता लगाया गया है;
- (ग) क्या सरकार और अधिक काले धन का पता लगाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) सरकार द्वारा खैचिक्क आय प्रकटन योजना दिनांक 1.7.97 से शुरू की गई है और यह योजना दिनांक 31.12.97 तक लागू रहेगी। यह योजना संसाधन जुटाने तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों को लगाने और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विगत में कर का अपवंचन किया है, अपनी अधोषित आय की घोषणा करने, उस पर उचित कर का भुगतान करने का अवसर प्रदान करने और भविष्य में उनके द्वारा ईमानदारी का रास्ता अपनाने तथा नागरिक दायित्व को निभाने के लिए लागू की गई थी। इसके साथ-साथ संदिग्ध कर अपवंचनों के मामलों में अनेक तलाशी एवं अभिग्रहण संबंधी कार्यवाहियां, पर्यवेक्षण, अभियोजन और गहन जांच-पड़ताल की गई है।

(ख) इस संबंध में कोई सरकारी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार, कर अपवंचन की रोकथाम करने और विभाग के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर ऐसे आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी उपाय करती आ रही है, जिन्हें उचित समझा जाता है।

Outstanding Income Tax/Excise/Import Duty Claims of Industrial Houses in Maharashtra

701. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of industrial houses in Maharashtra against whom outstanding amount of income tax/excise/import duty claims remain unsettled for more than 5 crore as on 31st March, 1997;

(b) total amount of central excise, import duty and income tax claims pending in Maharashtra as on 31st March, 1997 with top ten defaulters and amount of default;

(c) whether special efforts are being organised to ensure early settlement of disputed cases to boost up Government revenue, details of the programme undertaken; and

(d) details of the results achieved so far as per latest review?